

# स्वतंत्र प्रभात



स्वतंत्र प्रभात दैनिक अखबार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें..... 9511151254

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एवं अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरेली, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, देहरादून  
 वर्ष 14, अंक 342, पृष्ठ 04, मूल्य: 01 रुपया  
 www.swatantraprabhat.com  
 गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित  
 दिल्ली में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभायात्रा जय श्री राम जय हनुमान के जयघोष से भवती में डूबा..04

## फेक इश्योरेंस पॉलिसी पर S C सरख्त, SIT जांच करने और NIC के C M D को आरोपी बनाने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि नेशनल इश्योरेंस कंपनी (NIC) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) को एक आपराधिक मामले में आरोपी बनाया जाए। कंपनी पर आरोप है कि मोटर दुर्घटना से जुड़े मामले में एक फेक इश्योरेंस पॉलिसी पर भरोसा किया गया था। साथ ही कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने का भी निर्देश दिया।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कल गुरुवार को नेशनल इश्योरेंस कंपनी की आलोचना करते हुए कहा कि इश्योरेंस पॉलिसी के फेक होने के बाद भी आपराधिक मामले दार्ज नहीं किया गया। कोर्ट ने कंपनी की इस निष्कृतता को 'जिम्मेदारी की घोर कमी' भी करार दिया।

**यह राष्ट्रीय महत्व का टेस्ट केस:** सुट्ट कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा, 'अब वह समय आ गया है जब इस कोर्ट को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। ताकि यह तय किया जा सके कि इश्योरेंस कंपनियां अपनी जिम्मेदारी और सतर्क रहने के अपने कर्तव्य का पालन करें। क्योंकि आखिरकार वे उस खजाने से पैसा दे रही हैं जिसमें आम जनता का योगदान होता है।' साथ ही कोर्ट



ने इस मामले को राष्ट्रीय महत्व का एक 'टेस्ट केस' बताया। इसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच SIT को सौंपने का आदेश दिया कि वह एक नया केस दर्ज करे, जिसमें NIC के CMD और स्थानीय ब्रांच मैनेजर तक के अन्य कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया जाए। मोटर दुर्घटना मामले में शामिल बस के मालिक को भी आरोपी बनाया जाएगा, जिसकी इश्योरेंस पॉलिसी की जांच चल रही है।

**कोर्ट में पेश हुए DGP, मांगी माफी** कोर्ट ने कहा कि जांच टीम को यह भी तय करना चाहिए कि इस केस को पूरी गंभीरता के साथ और जल्द से जल्द ठोस निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए। कोर्ट का कहना है कि जांच का मुख्य उद्देश्य नकली और मनगढ़ंत इश्योरेंस से जुड़े दस्तावेज बनाने के

**क्या है मामला**  
 के. सरवनन नाम का शख्स जो एक सड़क हादसे का शिकार हुआ था, वह एक बस की टक्कर में घायल हो गया था। उसे कई सर्जरी और लंबे समय तक इलाज से गुजरना पड़ा, और गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उसे अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी। आगे चलकर उसने एक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (Motor Accident Claims Tribunal, MACT) के समक्ष एक दावा याचिका दायर की, जिसमें उसने एक बस के मालिक और उसके बीमाकर्ता, NIC से मुआवजे की मांग की।

MACT के समक्ष, इश्योरेंस कंपनी ने पूरे दावे को ही चुनौती दी थी। उसने तर्क दिया कि दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा जिस दुर्घटना नेतृत्व और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण से परिपूर्ण उनका जीवन 'गुंथर्म' के जीवंत आदर्श के रूप में हमें निरंतर साहस और कर्तव्यपथ पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है। उम्मुखमंत्री ब्रजेश पाठक ने 'एक्स' पर अपने संदेश में कहा, 'समान संस्कृति के प्खनवाक, गूट्ट के गौख और हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन।' छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था।

**शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर CM Yogi ने दी श्रद्धांजलि, कहा- दो अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक, दोनों डिप्टी सीएम ने भी किया नमन**



**लखनऊ :** उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उम्मुखमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को मराठ साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। योगी आदित्यनाथ ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य एवं उत्कृष्ट सुशासन के प्रतीक, 'हिंदवी स्वराज' के संस्थापक, गूट्टनायक छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन।' उन्होंने कहा, 'मातृभूमि की रक्षा और सनातन संस्कृति के गौख की पुनःस्थापना के लिए उनका समर्पित जीवन और उच्च आदर्श हम सभी के लिए महान प्रेरणा है।' उम्मुखमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। अद्वितीय वीरता, दूरदर्शी नेतृत्व और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण से परिपूर्ण उनका जीवन 'गूथर्म' के जीवंत आदर्श के रूप में हमें निरंतर साहस और कर्तव्यपथ पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है।' उम्मुखमंत्री ब्रजेश पाठक ने 'एक्स' पर अपने संदेश में कहा, 'समान संस्कृति के प्खनवाक, गूट्ट के गौख और हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन।' छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था।

## भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी राहत, एजेएल प्लॉट आवांटेन मामले में क्लीन चिट

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

पंचकूला के AJL (Associated Journals Limited) प्लॉट आवांटेन केस में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने हुड्डा के खिलाफ सभी आरोप खारिज कर दिए हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा को भी इस मामले में आरोपमुक्त किया गया है। इससे पहले पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पर्याप्त सबूत न मिलने पर आरोप तय करने के आदेश रद्द किए थे, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है। ये मामला पंचकूला के सेक्टर-6 में करीब 3,360 वर्ग मीटर सरकारी भूखंड के आवांटेन से जुड़ा था। इस केस में जांच एजेंसी का आरोप था कि ये प्लॉट कथित तौर पर बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को दिया गया। इससे सरकारी रेवेन्यू को नुकसान हुआ था। सीबीआई ने इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी आरोपी बनाया था।

**हाईकोर्ट ने क्या कहा?**  
 हालांकि, आरोप तय किए जाने के आदेश को उलटते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और AJL को ओर से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपों को समर्थन देने के लिए पर्याप्त और



ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना मजबूत आधार के आपराधिक मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी आधार पर आरोप तय करने के आदेशों को रद्द कर दिया गया। इसके बाद अब पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज ये राहत मिली है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे न्यायापालिका पर भरोसा है।

**क्या है पूरा मामला?**  
 पंचकूला के सेक्टर-6 में 3,360 वर्ग मीटर के सरकारी भूखंड आवंटित करने के मामले में सीबीआई ने हुड्डा समेत एचएसवीपी के चार अधिकारियों को भी आरोपी बनाया था। हुड्डा पर आरोप था कि उन्होंने 64.93 करोड़ रुपये का प्लॉट एजेएल को 69 लाख 39 हजार रुपये में दिया। सीबीआई ने 27 जनवरी 2017 को केस दर्ज किया था। फिर 1 दिसंबर 2018 को चार्जशीट दायर की थी।

## साक्षिप्त खबरें

**प्रेमी से कराई फौजी पति की हत्या, सोना गिरवी रख खरीदा तमचा; मेरठ की एक और 'मुस्कान' का खूनी खेल**



उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक और मुस्कान नाम की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। आरोपी पत्नी कोमल का पति नैन सिंह बीएसएफ का जवान था और अक्सर पोस्टिंग में रहता था। इसी बीच, पत्नी की गुलशन नाम के शख्स से नजदीकियां बढ़ गई थीं, जिसके बाद दोनों ने नैन सिंह की हत्या को साजिश रची। पत्नी और उसके प्रेमी ने नैन सिंह की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल, नैन सिंह अपने घर में अकेले रहते थे और उनकी पत्नी कोमल काफी समय से अलग रह रही थीं। दोनों के बीच पहले कई बार झगड़े भी हुए थे। अवैध संबंधों को लेकर नैन सिंह को पहले से ही अपनी पत्नी कोमल पर शक था। कोमल का संबंध नैन सिंह के मौसरे भाई गुलशन से था। कोमल और गुलशन ने नैन सिंह की हत्या को साजिश रची और रात में घर में सो रहे नैन सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी।

**सोना गिरवी रख खरीदा तमचा**  
 पुलिस के अनुसार, योजनाबद्ध तरीके से नैन सिंह की हत्या की गई। उनकी पत्नी कोमल ने गुलशन को सोना गिरवी रखने के लिए दिया था ताकि वो तमचा खरीद सके। तमचा खरीदने के बाद गुलशन ने अपने साक्षियों के साथ पत्नी योजना बनाई और नैन सिंह को मौत के घाट उतार दिया।

नैन सिंह की हत्या करने वाली पत्नी ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की। तहरीर में भी पुलिस को पड़ोसी के ऊपर हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ तो लंबे होते हैं। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और उसके साक्षियों को भी बाद में गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूछताछ की तो सभी आरोपियों ने अपना जुम कबूल किया। जिसके बाद खुलासे के समय मीडिया के सामने कोमल बेहोश होकर गिर गईं।

**एसएसपी ने क्या कहा?**  
 एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि नैन सिंह बीएसएफ के जवान थे, उनकी पत्नी का संबंध नैन सिंह के मौसरे भाई गुलशन से था। दोनों ने योजना बनाकर नैन सिंह की हत्या की, और पड़ोसियों पर आरोप लगाया। लेकिन अंदर ट्रेनी अधिकारी बजरंग प्रकाश ने अच्छा काम किया और घटना का खुलासा कर दिया। स्वाट टीम ने भी अच्छा काम किया और मामले का खुलासा करने में मदद की। एसएसपी ने सराहनीय काम के लिए टीम को 25,000 रुपये का नकद इनाम दिया।

## क्या दिव्यांगता के कारण अयोग्य कैडेट भी 'पूर्व सैनिक' माने जाएं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या प्रशिक्षण के दौरान लगी चोटों या दिव्यांगता के कारण अयोग्य हो जाने वाले सैन्य कैडेट को पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जा सकता है, ताकि वे सरकारी और अर्ध-सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठा सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरला और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि अधिकांश सैन्य कैडेट की उम्र 30 वर्ष से कम होती है और उन्हें रोजगार की आवश्यकता होगी। पीठ ने कहा कि सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठा कि क्या प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सकीय कारणों से सेवा से बाहर किए गए कैडेट को भी पूर्व सैनिक या पूर्व सैन्य कर्मी माना जा सकता है, ताकि उन्हें विभिन्न सरकारी और अर्ध-सरकारी नौकरियों तथा पदों में आरक्षण का लाभ मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इस पहलु पर निर्देश प्राप्त करें, ताकि पूर्व सैन्य कर्मियों के दायरे में इन कैडेट को भी शामिल किया जा सके, क्योंकि इनमें से अधिकांश 20-30 वर्ष की आयु के हैं।

**ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेटों**



**को लेकर सुनवाई**  
 सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने कहा कि इस मुद्दे पर व्यापक जवाब दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर स्वतः संज्ञान सुनवाई कर रहा है, जो प्रशिक्षण के दौरान चोट या दिव्यांगता के कारण बाहर किए गए कैडेट की कटिनाइयों से संबंधित है। पिछले वर्ष 18 अगस्त को न्यायालय ने कहा था कि रक्षा बलों में साहसी कैडेट होने चाहिए, जिन्हें प्रशिक्षण के दौरान लगी चोट या दिव्यांगता से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। साथ ही, न्यायालय ने केंद्र सरकार को ऐसे मामलों के लिए बीमा कवर देने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और रक्षा बलों से उन कैडेट की समस्याओं पर जवाब मांगा था,

जिन्हें प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांगता के कारण सैन्य संस्थानों से चिकित्सकीय आधार पर बाहर कर दिया गया।

**सर्वोच्च न्यायालय ने लिया था स्वतः संज्ञान**  
 न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को विभिन्न सैन्य संस्थानों में कठोर प्रशिक्षण ले रहे इन कैडेट के लिए युग इश्योरेंस जैसी बीमा योजना लागू करने की संभावना तलाशनी चाहिए, ताकि मृत्यु या दिव्यांगता के कारण आपात स्थितियों से निपटा जा सके। इसके अलावा, उसने वर्तमान एकमुश्त राशि (प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट को दिए जाने वाले 40,000 रुपये) को बढ़ाने पर भी विचार करने को कहा, ताकि उनकी चिकित्सा जरूरतें पूरी हो सकें। पिछले वर्ष 12 अगस्त को न्यायालय ने एक खबर पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें इन कैडेट की समस्या को उजागर किया गया था। ये कैडेट देश के प्रमुख सैन्य संस्थानों, जैसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में प्रशिक्षण का हिस्सा रह चुके थे। साल 1985 से अब तक करीब 500 अधिकारी कैडेट को ट्रेनिंग के दौरान विभिन्न स्तर की दिव्यांगता की वजह से बाहर कर दिया गया है।

## हम केजरीवाल के सिपाही, सीखी निडरता राघव चड्ढा मुद्दे पर भगवंत मान समेत इन AAP नेताओं ने दी सफाई

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

पंजाब से राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटायें जाने को आम आदमी पार्टी ने समान्य कार्रवाई बताया है। पार्टी ने राघव चड्ढा पूछा है कि वह देश और पार्टी से जुड़े मुद्दों पर भाजपा या मोदी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? लगातार पार्टी लाइन के खिलाफ काम क्यों रहे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग के बाद में गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूछताछ की तो सभी आरोपियों ने अपना जुम कबूल किया। जिसके बाद खुलासे के समय मीडिया के सामने कोमल बेहोश होकर गिर गईं।

**एसएसपी ने क्या कहा?**  
 एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि नैन सिंह बीएसएफ के जवान थे, उनकी पत्नी का संबंध नैन सिंह के मौसरे भाई गुलशन से था। दोनों ने योजना बनाकर नैन सिंह की हत्या की, और पड़ोसियों पर आरोप लगाया। लेकिन अंदर ट्रेनी अधिकारी बजरंग प्रकाश ने अच्छा काम किया और घटना का खुलासा कर दिया। स्वाट टीम ने भी अच्छा काम किया और मामले का खुलासा करने में मदद की। एसएसपी ने सराहनीय काम के लिए टीम को 25,000 रुपये का नकद इनाम दिया।



लेना होता है, जैसे सदन से वॉकआउट करना या सरकार की नीतियों का विरोध करना हो। अगर कोई व्यक्ति इन सामूहिक फैसलों का समर्थन नहीं करता है और पार्टी लाइन के विपरीत जाता है तो फिर वह पार्टी के विपक्ष के खिलाफ है। कोई भी पार्टी के विपक्ष के खिलाफ जाएगा, तो उस पर कार्रवाई होगी। आम सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और हमने अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है- निडरता, हिम्मत और साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर राघव चड्ढा ने हस्ताक्षर नहीं किया। संजय सिंह ने कहा कि जनहित से जुड़े जो मुद्दे, देश, आम आदमी सभी विपक्षी पार्टियों को एकमत में फैसला

हैं, उन पर राघव चड्ढा चुप रहते हैं।

**चुनाव आयोग के मुद्दे पर भी रहे चुप**  
 आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ गंभीर मुद्दे उठाता है, सरकार से सवाल पूछता है और लोगों की बात करता है, सरकार एक तानाशाह की तरह उसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन कर रही है। चाहे वह एक्स हो, फेसबुक हो या यूट्यूब, हर जगह बैन किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि आज हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। आज हमारी आंखों के सामने चुनाव आयोग का दुर्दमय करके पश्चिम बंगाल का चुनाव चुराया जा रहा है, लेकिन वह उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वोट का अधिकार छीना जा रहा है। सदन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव आया तो भाई साहब ने साइन करने से मना कर दिया। देश के असली मुद्दों पर बोलने से पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए

## नए दौर की राजनीति में नई जेनरेशन, बंगाल चुनाव में इस बार परिवारवाद कितना हावी

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य रहा है, जिसने लंबे समय तक विरासत की राजनीति को नकारा है, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव एक अलग कहानी बता रही है। दशकों तक पश्चिम बंगाल बंगाल ने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में देखी जाने वाली वंशवादी संस्कृति का मजाक उड़ाया और इसके बजाय कॉलेज कैम्पस, यूनिवर्सिटी और सड़क पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों से बनी राजनीतिक परंपरा को तरजीह दी है, लेकिन इस चुनाव में वह परंपरा बदलती दिख रही है। ममता बनर्जी से लेकर बुद्धदेव भट्टाचार्य और आंधी चौधरी से लेकर दिलीप घोष जैसे नेता आंदोलन और संगठन से उभरे हैं, लेकिन इस बार पार्टी लाइन से हटकर, तुणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) तक, अब बहुत सारे उम्मीदवार जाने-माने राजनीतिक परिवारों हैं। नए दौर की राजनीति में राजनीतिक नेताओं की नई जेनरेशन ने अपना कदम बढ़ा दिया है। तुणमूल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं, जिनका राजनीतिक परिवारों से नाता रहा है, लेकिन यह टूट्ट अलग-अलग विचारधाराओं में फैला हुआ है। यहाँ तक ??कि जो पार्टियां कभी वंशवाद की राजनीति की आलोचना करती थीं, वे भी अब जाने-पहचाने नेताओं की नई पीढ़ी पर भरोसा कर रही हैं। और यह बदलाव जमीनी स्तर पर दिख रहा है।

**तुणमूल कांग्रेस: परिवारवाद की सूची में सबसे आगे**  
 पश्चिम बर्दवान में तुणमूल कांग्रेस ने पूर्व मंत्री मलय घटक को आसनसोल उत्तर से मैदान में उतारा है, जबकि उनके भाई महाल पैदा कर दिया है। कई लोगों का मानना है कि गांव पर किसी 'बुरी शक्ति' का साया है, जिसके चलते ये घटनाएं हो रही हैं।

**पुजारी की सलाह पर गांव खाली**



पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य रहा है, जिसने लंबे समय तक विरासत की राजनीति को नकारा है, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव एक अलग कहानी बता रही है। दशकों तक पश्चिम बंगाल बंगाल ने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में देखी जाने वाली वंशवादी संस्कृति का मजाक उड़ाया और इसके बजाय कॉलेज कैम्पस, यूनिवर्सिटी और सड़क पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों से बनी राजनीतिक परंपरा को तरजीह दी है, लेकिन इस चुनाव में वह परंपरा बदलती दिख रही है। ममता बनर्जी से लेकर बुद्धदेव भट्टाचार्य और आंधी चौधरी से लेकर दिलीप घोष जैसे नेता आंदोलन और संगठन से उभरे हैं, लेकिन इस बार पार्टी लाइन से हटकर, तुणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) तक, अब बहुत सारे उम्मीदवार जाने-माने राजनीतिक परिवारों हैं। नए दौर की राजनीति में राजनीतिक नेताओं की नई जेनरेशन ने अपना कदम बढ़ा दिया है। तुणमूल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं, जिनका राजनीतिक परिवारों से नाता रहा है, लेकिन यह टूट्ट अलग-अलग विचारधाराओं में फैला हुआ है। यहाँ तक ??कि जो पार्टियां कभी वंशवाद की राजनीति की आलोचना करती थीं, वे भी अब जाने-पहचाने नेताओं की नई पीढ़ी पर भरोसा कर रही हैं। और यह बदलाव जमीनी स्तर पर दिख रहा है।

**तुणमूल कांग्रेस: परिवारवाद की सूची में सबसे आगे**  
 पश्चिम बर्दवान में तुणमूल कांग्रेस ने पूर्व मंत्री मलय घटक को आसनसोल उत्तर से मैदान में उतारा है, जबकि उनके भाई महाल पैदा कर दिया है। कई लोगों का मानना है कि गांव पर किसी 'बुरी शक्ति' का साया है, जिसके चलते ये घटनाएं हो रही हैं।

**पुजारी की सलाह पर गांव खाली**

तरजीह दी है। बीजेपी भी परिवारवाद पर अपने हमलों के बावजूद, बहुत पीछे नहीं है। पूर्व मेदिनीपुर में, एगरा से दिव्येंद्र अधिकारी की उम्मीदवारी उनके परिवार के बढ़ते असर को दिखाती है। वह नेता प्रतिपक्ष सुबेंद्र अधिकारी के भाई हैं। इसी तरह से भाटपाड़ा में पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह मैदान में हैं, जबकि अर्जुन खुद नोआपारा से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का मतुआ चेहरा, सुबत ठाकुर, भी एक बड़े राजनीतिक परिवार का हिस्सा है, जबकि उनकी रिश्तेदार सोमा, जो बागदा से चुनाव लड़ रही हैं। उनका अपनी भाभी मधुपर्णा ठाकुर के साथ सीधा मुकाबला है। वह टीएमसी से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह से बारानगर में, बीजेपी उम्मीदवार सजल घोष पूर्व कांग्रेस नेता प्रदीप घोष की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।

**परिवारवाद से लेफ्ट भी अछूता नहीं**  
 कांग्रेस, जो अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है, वह भी पुराने नामों पर भरोसा कर रही है। कांग्रेस नेता दिवंगत एनबीए गनी खान चौधरी की भतीजी, पूर्व सांसद मौसम नूर, तुणमूल कांग्रेस से कांग्रेस पानीहाटी से मौजूदा विधायक निर्मल घोष की जगह उनके बेटे तीर्थंकर घोष चुनाव लड़ेंगे। मानिकतला में टीएमसी ने दिवंगत मंत्री साधन पांडे की बेटी श्रेया पांडे और मौजूदा विधायक सुसी पांडे को मैदान में उतारा है। इसी तरह से बागदा से मधुपर्णा ठाकुर, पूर्वस्थली नॉर्थ से वसुंधरा गोस्वामी और बर्नगांव दक्षिण से ऋतुपर्णा अध्या सभी अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं।

**भाजपा और कांग्रेस: 'परिवारवाद' का बढ़ता रुझान**  
 ऐसा नहीं है कि केवल टीएमसी ने उम्मीदवारों के चयन में परिवारवाद को

## 28 मीतों से इस गांव में उट का साया, पुजारी के कहने पर लोगों ने छोड़ा घर; जंगल में डाला डेरा

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

तेलंगाना के करीमनगर जिले के गांधरपल्ली गांव में बीते तीन महीनों में 28 लोगों की मौत के बाद भय और अंधविश्वास का माहौल बन गया है। लगातार हो रही मौतों से डरे ग्रामीणों ने गांव को खाली कर जंगल में जाकर अनुष्ठान करने का फैसला किया। गांव में हाल के महीनों में न केवल बुजुर्गों बल्कि युवाओं की भी मौत हुई है। इस अस्मान्य स्थिति ने ग्रामीणों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। कई लोगों का मानना है कि गांव पर किसी 'बुरी शक्ति' का साया है, जिसके चलते ये घटनाएं हो रही हैं।

**पुजारी की सलाह पर गांव खाली**

ग्रामीणों ने गांव के बुजुर्गों और पुजारियों से समाधान मांगा। कथित तौर पर गांव की कुंडली देखने के बाद पुजारी ने इसे गंभीर विपत्ति बताया और विशेष अनुष्ठान करने की सलाह दी। इसके बाद ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के तहत 'दपू' अनुष्ठान किया और गुल्फुखा सुबह अपने घरों में ताला लगाकर बच्चों सहित गांव के बाहर जंगल क्षेत्र में चले गए वहां उन्होंने पूजा-अर्चना कर देवी-देवताओं से प्रार्थना की। इस दौरान पूरा गांधरपल्ली गांव खाली और वीरान नजर आया। आमतौर पर उत्सवों से भरा रहने वाला यह गांव अब भय के साये में डूबा हुआ है। हालांकि ग्रामीण अंधविश्वास के आधार पर कदम उठा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इन मौतों

के पीछे वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से गांव में मेडिकल कैम्प लगाने और लोगों की जांच कराने की मांग की है, ताकि असली वजह सामने आ सके और लोगों में फैले डर को दूर किया जा सके। दरअसल, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि गांव में हो रही मौतों के कुछ कारण हो सकते हैं, जिसमें दूषित पानी, संक्रामक बीमारी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं, फिलहाल गांव में स्थिति अस्मान्य बनी हुई है। प्रशासन के लिए यह जरूरी है कि वह जल्द से जल्द जांच कर मौतों के असली कारणों का पता लगाए, ताकि अंधविश्वास की जगह जागरूकता और सही इलाज को बढ़ावा मिल सके।

## पीएनजी संकट की चपेट में उद्योग महंगे ईंधन और अनिश्चित भविष्य के बीच डगमगाता औद्योगिक संतुलन

मध्य प्रदेश के औद्योगिक हृदय कहे जाने वाले इंदौर में इन दिनों पाइडू नेचुरल गैस (पीएनजी) का संकट केवल एक अस्थायी समस्या नहीं, बल्कि एक गहरे आर्थिक दबाव का संकेत बनकर उभरा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है, जिसका सीधा असर स्थानीय उद्योगों पर पड़ रहा है। जो पीएनजी कभी स्वच्छ और किफायती विकल्प के रूप में उद्योगों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था, वही अब उनके अस्तित्व के लिए चुनौती बनती दिखाई दे रही है। इंदौर के औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में जो स्थिति बनी है, उसने छोटे और मध्यम उद्योगों की नींव तक हिला दी है। गैस के दामों में अचानक लगभग दोगुनी वृद्धि ने उत्पादन लागत को असंतुलित कर दिया है। जो गैस पहले 50 से 55 रुपये प्रति यूनिट मिलती थी, वही अब 100 रुपये या उससे अधिक पर पहुंच चुकी है। इसके साथ ही 55 प्रतिशत कोटा प्रणाली लागू होने से उद्योगों के सामने दोहरी मार पड़ी है। उत्पादन की आवश्यकताओं के अनुरूप गैस उपलब्ध नहीं हो रही, और यदि अतिरिक्त गैस ली जाती है तो उसके लिए और भी अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।

यह स्थिति विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के लिए बेहद गंभीर है। छोटे उद्योग, जिनकी

पूंजी सीमित होती है और जो रोजाना के उत्पादन और बिक्री पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए यह बड़ी हुई लागत और सीमित आपूर्ति किसी बड़े संकट से कम नहीं है। इंदौर के सावेर रोड, पोलोग्राउंड और लक्ष्मीबाई नगर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में सैकड़ों फैक्ट्रियां पूरी तरह पीएनजी पर निर्भर हैं। फूड प्रोसेसिंग, मिटाई, नमकीन, मेटल और फैब्रिकेशन जैसे उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया गैस के बिना संभव नहीं है। ऐसे में यदि आपूर्ति विकलित होती है या लागत अत्यधिक बढ़ जाती है, तो उत्पादन ठप होना स्वाभाविक है।

इस संकट का एक और चिंताजनक पहलू यह है कि यह केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा। उत्पादन लागत में वृद्धि का सीधा असर बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा। बिस्कुट, नमकीन, मिठाइयों से लेकर धातु उत्पादों तक, हर चीज महंगी हो सकती है। अंततः इसका बोझ आम उपभोक्ता पर ही पड़ेगा। इस प्रकार यह संकट एक व्यापक आर्थिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, जो महंगाई और अंतराजगारी दोनों को बढ़ावा देगा।

स्थिति को और जटिल बनाता है कंपनियों द्वारा अपनाया गया रवैया। उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सिक्वोरिटी डिमांडित की मांग और सप्लाई काटने की चेतावनी ने उद्योगपतियों में असंतोष को जन्म दिया है।

पहले से ही मंदी की मार झेल रहे व्यापारी और उद्योगपति इस अतिरिक्त वित्तीय दबाव को वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या उद्योग संस्थाएं और सरकार इस स्थिति पर समय रहते हस्तक्षेप करेंगी या नहीं।

हालांकि गैस आपूर्ति कंपनियों का तर्क है कि यह संकट कुत्रिम नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम है। औद्योगिक और वार्णिज्यिक क्षेत्र के लिए गैस का बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय स्लॉट मार्केट से आता है, जहां कीमतें तेजी से बदलती हैं। वर्तमान वैश्विक तनाव के कारण गैस की कीमतों में वृद्धि स्वाभाविक है, और इसी का प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। धरेलू और सीएनजी उपभोक्ताओं को फिलहाल इससे राहत है क्योंकि उनके लिए गैस का स्रोत मुख्यतः घरेलू उत्पादन है।

फिर भी, यह तर्क उद्योगों की तत्काल समस्याओं का समाधान नहीं करता। यदि अर्थिक ठहराव की स्थिति उत्पन्न होना किसी भी दृष्टि से चिंताजनक है। वर्तमान में भले ही स्थिति नियंत्रित दिखाई दे रही हो, लेकिन भविष्य को लेकर

आशंकाएं गहरी हैं। यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव और बढ़ता है या युद्ध लंबा खिंचता है, तो ऊर्जा संसाधनों की कीमतों में और वृद्धि होना तय है। ऐसी स्थिति में पीएनजी के दाम 130 रुपये प्रति यूनिट या उससे अधिक तक पहुंच सकते हैं, जो अधिकांश छोटे उद्योगों के लिए असहनीय होगा। यह केवल एक आर्थिक संकट नहीं बल्कि औद्योगिक ढांचे के पुनर्गठन की आवश्यकता का संकेत भी है।

इस चुनौतीपूर्ण समय में आवश्यकता है संतुलित और दूरदर्शी नीति की। सरकार को चाहिए कि वह उद्योगों को अस्थायी राहत प्रदान करे, टैक्स में कमी पर विचार करे और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे। पूरे देश के औद्योगिक परिदृश्य के लिए एक चेतावनी है। वैश्विक घटनाओं का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है, यह इस स्थिति से स्पष्ट होता है। यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो यह संकट और गहराता जाएगा और इसका प्रभाव केवल उद्योगों तक सीमित न रहकर पूरे समाज पर पड़ेगा।

**कांतिलाल मांडोट**

## दायित्व बोध से ही श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण

**अधिकार और उत्तरदायित्व एक ही सिक्के के दो पहलू।**  
प्रख्यात चिंतक वाल्टेयर ने कहा था जितने अधिक अधिकार, उतनी अधिक जिम्मेदारी। यह कथन आज के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है। स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब वह संयम और जिम्मेदारी से संचालित हो अन्यथा वह स्वच्छंदा बनकर अराजकता को जन्म देती है। मानव सभ्यता के विकास की समूची यात्रा यदि किसी सूक्ष्म सूत्र में पिरोई जा सकती है, तो वह है, अधिकार और उत्तरदायित्व का संतुलन। यह संतुलन ही वह धुरी है, जिस पर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की संरचना और आधारशिला टिकती है। प्रख्यात चिंतक वाल्टेयर का यह कथन जितने अधिक अधिकार, उतनी अधिक जिम्मेदारी,केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जीवन का शाश्वत सिद्धांत है। आज जब आधुनिकता के प्रवाह में मनुष्य अधिकारों की नई-नई परिभाषाएं गढ़ रहा है, तब यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या हम अपने उत्तरदायित्वों के प्रति उत्तरे ही सजग हैं?जितने अपने अधिकारों के प्रति? स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि वह एक अनुशासित चेतना का नाम है। जब स्वतंत्रता संयम और उत्तरदायित्व से संचालित होती है, तभी वह समाज में समरसता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है; अन्यथा वही स्वतंत्रता स्वच्छंदा बनकर अराजकता को जन्म देती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी स्पष्ट कहा था कि कर्तव्यों के हिमालय से अधिकारों की गंगा बहनी है। यह कथन इस मूल को इंगित करता है कि अधिकारों की प्राप्ति का मूल स्रोत हमारे कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन ही है।

भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला भारतीय संविधान में निहित है, जिसने नागरिकों को व्यापक मूल अधिकार प्रदान किए। यह व्यवस्था उन ऐतिहासिक विषमताओं को दूर करने के लिए थी, जिनसे समाज का एक बड़ा वर्ग पीड़ित रहा था। परंतु इसी संविधान ने मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया, ताकि अधिकारों का उपयोग संतुलित, मर्यादित और राष्ट्रहितकारी बना रहे। यह द्ध्न नहीं, बल्कि द्वैत में एकता का अद्भुत उदाहरण है। हाल के वर्षों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता देना नागरिक स्वतंत्रता की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पथर सिद्ध हुआ। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि इस अधिकार के साथ यह दायित्व भी जुड़ता है कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग इस प्रकार करें कि वह दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण न करें। अधिकारों की सीमा वहाँ समाप्त हो जाती है, जहाँ दूसरे के अधिकारों का क्षेत्र आरंभ होता है। आधुनिक युग में जागरूकता का विस्तार हुआ है, किंतु नैतिक अनुशासन और कर्तव्य-बोध अपेक्षित गति से विकसित नहीं हो पाए हैं। परिणामस्वरूप समाज में एक विचित्र असंतुलन दिखाई देता है।अधिकारों की मांग प्रबल है, किंतु उत्तरदायित्व के निर्वहन में शिथिलता स्पष्ट है। यही असंतुलन लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने चेताया था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, तो वह भी असफल हो जाएगा। यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि

किसी भी व्यवस्था की सफलता उसके नागरिकों के चरित्र और जिम्मेदारी पर निर्भर करती है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को इस विश्वास के साथ चुनती है कि वे लोककल्याण की भावना से शासन करेंगे। किंतु जब जनप्रतिनिधि अधिकारों के मद में अपने उत्तरदायित्वों को विस्मृत कर देते हैं, तब शासन और व्यवस्था में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और निरंकुशता का प्रवेश हो जाता है। इस संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का यह कथन स्मरणीय है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन तभी संभव है, जब जनता स्वयं अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो। प्राचीन भारतीय चिंतन में भी अधिकार और कर्तव्य के इस संतुलन का अत्यंत महत्व दिया गया है। ऐतिहासिक चिंतक कौटिल्य ने अपने ग्रंथ ‘अर्थशास्त्र’ में स्पष्ट कहा है कि जिस राज्य की प्रजा कष्ट में हो, वहाँ शासक का वैभव नैतिक रूप से अनुचित है। यह विचार शासन और समाज के बीच जागरूकता का विस्तार हुआ है, किंतु

अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच कृत्रिम विभाजन को समाप्त करें और उन्हें एक समग्र दृष्टि से देखें। ये दोनों विरोधी प्रतिनिधियों को इस विश्वास के साथ चुनती है कि वे लोककल्याण की भावना से शासन करेंगे। किंतु जब जनप्रतिनिधि अधिकारों के मद में अपने उत्तरदायित्वों को विस्मृत कर देते हैं, तब शासन और व्यवस्था में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और निरंकुशता का प्रवेश हो जाता है। इस संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का यह कथन स्मरणीय है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन तभी संभव है, जब जनता स्वयं अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो। प्राचीन भारतीय चिंतन में भी अधिकार और कर्तव्य के इस संतुलन का अत्यंत महत्व दिया गया है। ऐतिहासिक चिंतक कौटिल्य ने अपने ग्रंथ ‘अर्थशास्त्र’ में स्पष्ट कहा है कि जिस राज्य की प्रजा कष्ट में हो, वहाँ शासक का वैभव नैतिक रूप से अनुचित है। यह विचार शासन और समाज के बीच जागरूकता का विस्तार हुआ है, किंतु

सर्वजनिक जीवन में भी यह सिद्धांत समान रूप से लागू होता है। स्वच्छ सड़कें, शुद्ध जल, सुरक्षित वातावरण

ये सभी हमारे अधिकार हैं, किंतु इन्हें बनाए रखना हमारा दायित्व भी है। पर्यावरण संकट इसका ज्वलंत उदाहरण है। दलाई लामा जी ने कहा है कि यह पृथ्वी हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। यदि हम इस उधार को संजोकर नहीं रखेंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। आज मूल जरूरत इस बात की है कि हम

अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच कृत्रिम विभाजन को समाप्त करें और उन्हें एक समग्र दृष्टि से देखें। ये दोनों विरोधी प्रतिनिधियों को इस विश्वास के साथ चुनती है कि वे लोककल्याण की भावना से शासन करेंगे। किंतु जब जनप्रतिनिधि अधिकारों के मद में अपने उत्तरदायित्वों को विस्मृत कर देते हैं, तब शासन और व्यवस्था में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और निरंकुशता का प्रवेश हो जाता है। इस संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का यह कथन स्मरणीय है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन तभी संभव है, जब जनता स्वयं अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो। प्राचीन भारतीय चिंतन में भी अधिकार और कर्तव्य के इस संतुलन का अत्यंत महत्व दिया गया है। ऐतिहासिक चिंतक कौटिल्य ने अपने ग्रंथ ‘अर्थशास्त्र’ में स्पष्ट कहा है कि जिस राज्य की प्रजा कष्ट में हो, वहाँ शासक का वैभव नैतिक रूप से अनुचित है। यह विचार शासन और समाज के बीच जागरूकता का विस्तार हुआ है, किंतु

**संजीव ठाकुर**

## आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्ति के बाद भी सतर्कता बेहद जरूरी

देश की आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर बीते वर्षों में जो परिवर्तन देखने को मिला है, वह निश्चित ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज किया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बार फिर यह संदेश देने का प्रयास किया है कि उसकी घोषणाएं केवल आश्वासन नहीं, बल्कि संकल्प हैं जिन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकता है। कर्मांतर में आतंकवाद के प्रभाव में कमी और नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई ने लंबे समय से चले आ रहे सुरक्षा संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया है। कुछ वर्ष पहले तक लाल चौक जैसे संवेदनशील स्थानों पर आम नागरिकों का बेखौफ आना-जाना भी असंभव प्रतीत होता था, लेकिन आज यहां सामान्य जीवन की वापसी एक सकारात्मक संकेत है। यह परिवर्तन केवल सैन्य कार्रवाइ का परिणाम नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, रणनीतिक समन्वय और सुरक्षाबलों के सतत प्रयासों का समेकित प्रभाव है।

नक्सलवाद के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों ने निर्णायक मोड़ लाने का काम किया है। सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा 31 मार्च 2026 तक इस समस्या को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, और इसी दिशा में लगातार अभियान चलाए गए। सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई, खुफिया तंत्र



की सक्रियता और आत्मसमर्पण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन ने नक्सली संगठनों की जड़ों को कमजोर किया है। बड़ी संख्या में जातीय उग्रवादियों का आत्मसमर्पण इस बात का संकेत है कि हिंसा का रास्ता अब उनके लिए टिकाऊ विकल्प नहीं रह गया है। हालांकि, यह उपलब्धि जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण इसे बनाए रखना है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी राष्ट्र ने सुरक्षा के मोर्चे पर ढिलाई बरती है, तब अस्थिरता ने पुनः सिर उठाया है। आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी चुनौतियां केवल बंदूक की नोक से समाप्त नहीं होतीं; इनके पीछे वैचारिक, सामाजिक और आर्थिक कारण भी होते हैं, जिनका निरंतर समाधान आवश्यक है।

सीमा पर से सक्रिय आतंकी ताकतें भारत की स्थिरता और प्रगति को सहज रूप से स्वीकार नहीं करेंगी। ऐसे में सुरक्षा

## एआई का उदय, इंसानों का पतन: ऑरेकल से शुरू हुई खामोश क्रांति

**[ कॉर्पोरेट दुनिया का नया सच: इंसान खर्च है, एपीन निवेश ]**

**[ टुडे इज योर लास्ट वर्किंग डे — एआई युग का सबसे निर्मम वाक्य ]**

जिस दिन तलवारें चलती हैं, लोग चीख उठते हैं। जिस दिन गोलियां बरसती हैं, दुनिया उसे सुर्खियां बना देती है। लेकिन जब किसी देश के बाहर हजार सपनों को खामोशी में दफना दिया जाए, तब कोई शोर नहीं उठता। न सायन बना है, न सड़कें रुकती हैं। बस मोबाइल स्क्रीन जलती है, इनबॉक्स खुलता है और कुछ ठंडे शब्द भेहत, भरोसे और भविष्य को एक पल में राख कर देते हैं—टुडे इज योर लास्ट वर्किंग डे। ऑरेकल ने भारत में लगभग 12,000 कर्मचारियों को एक झटके में बाहर कर दिया। 31 मार्च 2026 की सुबह ठीक छह बजे बंगलुरु, हैदराबाद और पुणे के हजारों घरों में उस सुबह का प्रिणाम नहीं होता, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक के छोटे-छोटे प्रयासों से निर्मित है। एक ईमानदार कर्दागत, एक सजग मतदाता, एक जिम्मेदार नागरिक, ये सभी राष्ट्र की नींव को मजबूत करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का यह आह्वान आज भी उतना ही प्रासंगिक है उठे, जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह लक्ष्य केवल व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि एक सशक्त, समृद्ध और नैतिक राष्ट्र के निर्माण का है। अतः यह स्पष्ट है कि अधिकार और उत्तरदायित्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थभाष्य, अपरिहार्य और परस्पर पूरक। यदि हम केवल अधिकारों की माँग करेंगे और कर्तव्यों की उपेक्षा करेंगे, तो लोकतंत्र का स्वरूप विकृत हो जाएगा। किंतु यदि हम इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर पाए, तो न केवल लोकतंत्र सुदृढ़ होगा, बल्कि राष्ट्र भी उन्नति के शिखर पर पहुँचेगा। समय की पुकार यही है कि हम अपने भीतर उत्तरदायित्व की उस ज्योति को प्रज्वलित करें, जो अधिकारों को प्रकाशमान करती है। यही सच्चा राष्ट्र-चिंतन है, यही लोकतंत्र की आत्मा है और यही भविष्य का पथ भी।

संभालता था, कोई रिपोर्ट बनाता था। कंपनी अब एआई डेटा सेंटर और क्लाउड ऑप्टीमेशन पर भारी निवेश कर रही है, जिससे कई दोहराए जाने वाले और रूटीन कार्यों में कम लोगों की जरूरत पड़ रही है। जेनेरेटिव एआई कोड लिखने, टेस्टिंग और रिपोर्टिंग जैसे कामों को तेज कर रहा है, लेकिन छंटीनी का मुख्य कारण विशाल एआई इंफ्रस्ट्रक्चर के खर्च के लिए कैश फ्लो जुटाना है। यह वजह है कि ऑरेकल जैसी कंपनियां कर्मचारियों को खर्च और एआई को निवेश मानने लगी हैं।

इन आंकड़ों के पीछे दबी सच्चाई कहीं अधिक भयावह और निर्मम है। बाहर हजार कर्मचारियों की छंटीनी केवल एक आंकड़ नहीं, बाहर हजार परिवारों पर टूटा हुआ संकट है। किसी ने हाल ही में घर खरीदा था और हर महीने भारी ईएमआई देती थी। किसी के बच्चे का दखिला बड़े स्कूल में हुआ था। कोई बूढ़े माता-पिता की तब इलाजों और इलाज का सहारा था। पुणे का एक देवाजीराधे थोडे साल से कंपनी में था, सुबह रोज की तरह लॉग-इन करते बने, लेकिन उसका मशीनें आगे बढ़ रही हैं और इंसान पीछे धकेले जा रहे हैं।

ऑरेकल की भारत में कुल कार्यशक्ति लगभग 30,000 थी। उनमें से 40 प्रतिशत से अधिक लोगों को हटाना किसी सामान्य पुनर्गठन का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे साफ आर्थिक गणित है। कंपनी इस समय एआई आधारित डेटा सेंटर, क्लाउड ऑप्टीमेशन और जेनेरेटिव सिस्टम्स पर लगभग 156 अरब डॉलर लगा रही है। इतनी बड़ी पूंजी जुटाने का सबसे आसान रास्ता लागत घटाना है, और वैश्विक स्तर पर पड़नेवाला है।

इस छंटीनी की सबसे बड़ी वजह केवल लागत घटाना नहीं, बल्कि तकनीक का बदलता चेहरा भी है। पहले एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए, सैकड़ों इंजीनियरों की जरूरत होती थी। कोई कोड लिखता था, कोई टेस्टिंग करता था, कोई डेबॉक्स

का निर्माण कर देता था। आज एक ही व्यक्ति इन तीनों कामों को कर सकता है।

जिसमें कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों को पूरी तरह बदलना पड़ेगा।

ऑरेकल की यह छंटीनी एक कठोर लेकिन जरूरी सच सामने लाती है—भविष्य में नौकरी नहीं, केवल कौशल सुरक्षित होगा। अब किसी

कंपनी के साथ वर्षों की वफादारी आपको नहीं बचा सकती। आपको हर कुछ वर्षों में खुद को बदलना होगा, नई तकनीक सीखनी होगी और मशीनें से आगे सोचने की क्षमता बनानी होगी। बाहर हजार सपनों का यह डिजिटल कल्लेआम सिर्फ एक खबर नहीं, आने वाले समय की चेतावनी है। अगर भारत ने इस चेतावनी को नहीं समझा, तो अगली बार संख्या और बड़ी हो सामान्य दिखती है, लेकिन भीतर हजारों ज़िंदगियां टूट रही होती हैं। यह सिर्फ ऑरेकल की कहानी नहीं है। गुगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और दूसरी बड़ी टेक कंपनियां भी तेजी से उसी दिशा में बढ़ रही हैं। वे

उन्की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस विशाल अभियान की सफलता पूरी तरह से नागरिकों की सक्रिय और ईमानदार भागीदारी पर टिकी है। जनगणना केवल एक आंकड़ों से बेहतर कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता। जनगणना के माध्यम से एकत्र किए गए ये आंकड़े केवल निर्जीव नहीं होते, बल्कि ये भविष्य के भारत का मानचित्र तैयार करते हैं। किसी क्षेत्र में कितने नए स्कूलों की आवश्यकता है, कहां नए अस्पतालों का निर्माण होना चाहिए, और किन ग्रामीण इलाकों में पेयजल एवं सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है इन सबका उत्तर जनगणना के डेटा में ही छिपा होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का सफल क्रियान्वयन तभी संभव है जब हमारे पास जनसंख्या के घनत्व और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को जानकारी हो। उदाहरण के लिए, यदि आंकड़ों से यह पता चलता है कि किसी विशेष क्षेत्र में युवाओं की संख्या अधिक है, तो सरकार वहाँ कौशल विकास केंद्रों और रोजगार के अवसरों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। इसी प्रकार, बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं और पेंशन सरकार को आरक्षण, छत्रवृत्ति और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के विवरण लेने

है, तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। डिजिटल जनगणना के माध्यम से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करके सरकार भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान लगा सकती है। बदलती जलवायु, शहरीकरण की तीव्र गति और बदलते जनसांख्यिकीय लाभांश के इस दौर में हमें ऐसी ही सूक्ष्म और सटीक जानकारी की आवश्यकता है। यह जनगणना न केवल भारत के सामाजिक पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य की नींव रख रहा होता है। यदि जानकारी में त्रुटि होती है, तो उसके आधार पर बनने वाली योजनाएं भी त्रुटिपूर्ण हो जाती हैं, जिसका खामियाजा समाज को भुगतान पड़ता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण, शिक्षित हो या असाक्षर, इस अभियान को अपना समझकर इसमें सहयोग करे। राष्ट्र-निर्माण का अर्थ केवल विकास को रक्षा करना ही नहीं है, बल्कि देश की वास्तविक तस्वीर को स्पष्ट करने में सहयोग देना भी है। समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए भी जनगणना एक सशक्त माध्यम है। जब संसाधनों का वितरण न्यायसंगत होता है, तो समाज में असंतोष कम होता है और राष्ट्र की अखंडता मजबूत होती है।

आधुनिक युग में डेटा को ‘नया तेल’ कहा जाता है, और जब यह डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत डेटा एनालिटिक्स जैसे तकनीकों के साथ जुड़ता

**महेंद्र तिवारी**

## भारत की 16वीं जनगणना: एक व्यापक सांख्यिकीय और सामाजिक विश्लेषण

भारत जैसे विशाल और भौगोलिक विविधताओं से परिपूर्ण राष्ट्र में जनगणना को केवल जनसंख्या की गणना करने वाली एक यांत्रिक प्रशासनिक प्रक्रिया मान लेना इसकी महत्ता को कम करके आंकने जैसा होगा। वास्तव में, यह राष्ट्र-निर्माण की वह अदृश्य परंतु अत्यंत सुदृढ़ नींव है, जिस पर भविष्य के भारत की नींवित्य, योजनाओं और विकास के सपनों की इमारत खड़ी होती है। यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें देश अपनी वर्तमान स्थिति को देखता है और अपनी कमियों को पहचानकर सुधार के मार्ग प्रशस्त करता है। भारत में जनगणना का इतिहास काफी पुराना रहा है, लेकिन आगामी जनगणना 2026-27 अपने आप में कई अर्थों में असाधारण और युगांतकारी सिद्ध होने वाली है। यह न केवल देश की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना है, बल्कि यह एक लंबे अंतराल और वैश्विक महामारी के बाद बदली हुई परिस्थितियों में आयोजित की जा रही है। इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार को यह प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है कि देश की जनसंख्या का वास्तविक वितरण क्या है, लोग किन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं और उनकी शैक्षिक योग्यता के स्तर क्या हैं। यही कारण है कि इसे किसी भी विकसित समाज की योजना निर्माण प्रक्रिया की ‘रीढ़’ कहा जाता है। इस जनगणना की समग्रता को देखें तो

यह अप्रैल 2026 से शुरू होकर मार्च 2027 तक चलेगी, जो दो चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण में, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक संचालित होगा, ‘मकान सूचीकरण’ और ‘आवास गणना’ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस दौरान देश के हर कोने में स्थित घरों की स्थिति, उनमें उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और लोगों के रहन-सहन के स्तर का विस्तृत विवरण एकत्र किया जाएगा। इसके उपरांत, फरवरी 2027 में दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होगा, जिसमें जनसंख्या की वास्तविक गणना की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया अपने आप में प्रशासनिक कुशलता की एक कठिन परीक्षा की तरह है, क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों के जीवन के सूक्ष्म पहलुओं को संग्रहित करना होता है। इस बार की जनगणना की सबसे क्रांतिकारी विशेषता इसका पूर्णतः डिजिटल होना है। आधुनिक भारत की बदलती तस्वीर को देखते हुए सरकार ने कागज-रहित जनगणना का जो निर्णय लिया है, वह प्रशासनिक दक्षता में एक लंबी छलांग है। मोबाइल एप, ऑनलाइन पोर्टल और अत्याधुनिक डेटा संग्रहण प्रणालियों के उपयोग से न केवल जानकारी एकत्र करने की गति बढ़ेगी, बल्कि मानवीय त्रुटियों की संभावना भी न्यूनतम हो जाएगी। डिजिटल माध्यम से डेटा का संग्रह होने के कारण रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी, जिससे उच्छाधिकारी फील्ड में

हो रहे काम को पल-पल की जानकारी रख सकेगें।

डिजिटल तकनीक के समावेश का एक अन्य लाभ यह भी है कि इसमें जियो-टैगिंग और क्लाउड आधारित डेटा संग्रहण जैसी विधाओं का उपयोग किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी क्षेत्र गणना से छूट न जाए और न ही किसी व्यक्ति की जानकारी का दोहराव हो। यह पारदर्शिता और सटीकता आधुनिक लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। इस तकनीकी बदलाव के साथ ही ‘सेलर-एनुमरेशन’ यानी ‘स्व-जागरूक नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। यह न केवल गणना कर्मियों के बोझ को कम करेगा, बल्कि नागरिकों में शासन की प्रक्रिया के प्रति भागीदारी का भाव भी जगाएगा। यह कदम दर्शाता है कि हम एक ऐसे डिजिटल समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ सरकार और नागरिक एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अक्सर लोगों में कान्य में जनगणना को लेकर यह संशय रहता है कि उन्हें कई तरह के दस्तावेज दिखाने होंगे, लेकिन इस बार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। यह नीति नागरिकों के मन से भय को दूर करेगी और उन्हें



सहजता से जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने की एक सराहनीय पहल है। जनगणना 2026-27 का एक अत्यंत संवेदनशील और चर्चा का विषय जातिगत आंकड़ों का संग्रहण है। लगभग एक शताब्दी के बाद, यानी 1931 के बाद पहली बार, भारत अपनी सभी जातियों का व्यवस्थित डेटा एकत्र करने जा रहा है। भारतीय समाज की जटिलताओं को देखते हुए यह कदम गणना कर्मियों के बोझ को कम करेगा, बल्कि नागरिकों में शासन की प्रक्रिया के प्रति भागीदारी का भाव भी जगाएगा। यह कदम दर्शाता है कि हम एक ऐसे डिजिटल समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ सरकार और नागरिक एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अक्सर लोगों में कान्य में जनगणना को लेकर यह संशय रहता है कि उन्हें कई तरह के दस्तावेज दिखाने होंगे, लेकिन इस बार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। यह नीति नागरिकों के मन से भय को दूर करेगी और उन्हें

में सक्षम बनाएंगे। सामाजिक न्याय केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि हाशिए पर खड़े अतिम व्यक्ति को मुख्यधारा में शामिल करना है, और इसके लिए सटीक आंकड़ों से बेहतर कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता।

जनगणना के माध्यम से एकत्र किए गए ये आंकड़े केवल निर्जीव नहीं होते, बल्कि ये भविष्य के भारत का मानचित्र तैयार करते हैं। किसी क्षेत्र में कितने नए स्कूलों की आवश्यकता है, कहां नए अस्पतालों का निर्माण होना चाहिए, और किन ग्रामीण इलाकों में पेयजल एवं सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है इन सबका उत्तर जनगणना के डेटा में ही छिपा होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का सफल क्रियान्वयन तभी संभव है जब हमारे पास जनसंख्या के घनत्व और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को जानकारी हो। उदाहरण के लिए, यदि आंकड़ों से यह पता चलता है कि किसी विशेष क्षेत्र में युवाओं की संख्या अधिक है, तो सरकार वहाँ कौशल विकास केंद्रों और रोजगार के अवसरों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। इसी प्रकार, बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं और पेंशन सरकार को आरक्षण, छत्रवृत्ति और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के विवरण लेने

है, तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। डिजिटल जनगणना के माध्यम से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करके सरकार भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान लगा सकती है। बदलती जलवायु, शहरीकरण की तीव्र गति और बदलते जनसांख्यिकीय लाभांश के इस दौर में हमें ऐसी ही सूक्ष्म और सटीक जानकारी की आवश्यकता है। यह जनगणना न केवल भारत के सामाजिक पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य की नींव रख रहा होता है। यदि जानकारी में त्रुटि होती है, तो उसके आधार पर बनने वाली योजनाएं भी त्रुटिपूर्ण हो जाती हैं, जिसका खामियाजा समाज को भुगतान पड़ता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण, शिक्षित हो या असाक्षर, इस अभियान को अपना समझकर इसमें सहयोग करे। राष्ट्र-निर्माण का अर्थ केवल विकास को रक्षा करना ही नहीं है, बल्कि देश की वास्तविक तस्वीर को स्पष्ट करने में सहयोग देना भी है। समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए भी जनगणना एक सशक्त माध्यम है। जब संसाधनों का वितरण न्यायसंगत होता है, तो समाज में असंतोष कम होता है और राष्ट्र की अखंडता मजबूत होती है।

आधुनिक युग में डेटा को ‘नया तेल’ कहा जाता है, और जब यह डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत डेटा एनालिटिक्स जैसे तकनीकों के साथ जुड़ता



